न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थी :—
पारसराम पुत्र जीवणराम बावरी
निवासी धोलिया तह. परबतसर

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1. आसाराम पुत्र नानूराम मेघवाल
निवासी परबतसर।
2. नरसी पुत्र रामपाल बावरी
निवासी भाटीपुरा तह. मकराना
3. पप्पूराम पुत्र भंवरलाल मेघवाल
निवासी मामडोली तह. मकराना
4. तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :— श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री जगराम मीणा राजपैरोकार

मुकदमां नम्बर :— 247/2021 निर्णय दिनांक :— 24.01.2022

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम परबतसर में खसरा नम्बर 2318/1 रकबा 0.2860 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2324/2 रकबा 0.1530 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 2350/1 रकबा 0.3460 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी 2 व 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 2318, 2350, 2324 थे जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी 2 व 3 ने सह खातेदार सन्तोष देवी के साथ बंटवारा करवाकर अलग जीमन खातेदारी में दर्ज करवायी तथा नक्शा ट्रेश में इन्द्राज करवा लिया था। उक्त भूमि मेघा हाईवे पर स्थित है वर्तमाने सेटलमेन्ट में गलती से खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी 2 व 3 की भूमि के आगे तरमीम कर दिया जबकि खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1655/1 रकबा 4 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई है जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रस्तुत है तथा शेष 9—14 बीघा भूमि अप्रार्थी 1 ने सन्तोष देवी पत्नी श्योजीराम को दिनांक 29.12.2006 को बेचान कर दिया था तथा 4 बिस्वा भूमि सड़क में चली गई जिसके बाद अप्रार्थी 1 के नाम शेष भूमि खातेदारी में नहीं बची है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थी 2, 3 की भूमि के आगे खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि तरमीम कर दिया जो गलत है। जिससे प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2318/1, 2324/2 व 2350/1 का नक्शा ट्रेस में पूर्व के अनुसार इन्द्राज किया जाकर खसरा नम्बर 2349 को राजस्व नक्शा ट्रेस अप्रार्थी 1 का नाम डिलीट करने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 का नोटिस उसकी पत्नी द्वारा लेने से इन्कार होने पर दो मैतबरान के रूबरू आबाद मकान पर चस्पा होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 4 राजपैरोकार ने पत्रांकः भू.अ./07 दिनांक 11.01.2021

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

के द्वारा जबाब पेश किया है। वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों पर मनन किया गया।

3. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2058–61 पेश की है जिसमें ग्राम परबतसर के गत खसरा नम्बर 1630 मिन – 3 रकबा 6–00 बीघा व खसरा नम्बर 1655 रकबा 3–18 बीघा कुल 9–18 बीघा भूमि आसाराम पुत्र नानूराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें से खसरा नम्बर 1655/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि गै.मु. सड़क सार्व.निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड की गई है तथा आसाराम द्वारा बैचान करने पर शेष भूमि 9–14 बीघा भूमि सन्तोकदेवी पत्नी श्योजीराम जाति भांबी सा. बड़गांव तह. भिनाय के नाम खातेदारी जरिये नामान्तकरण 3484 के द्वारा दर्ज रिकार्ड की गई है जिसके अनुसार सम्वत 2058–61 के बाद अप्रार्थी आसाराम के नाम खातेदारी इस खसरान में भूमि शेष नहीं है। तथा गत खसरा नम्बर 1655/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण संख्या 4070 दिनांक 26.11.2009 के द्वारा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2349 है का अमल दरामद सार्वजनिक निर्माण विभाग के हो चुका था। लेकिन वर्तमान सेग्रीकेशन के बाद गत खसरा नम्बर 1655/1 के नवीन खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि पुनः मूल खातेदार आसाराम के नाम दर्ज कर दी गई है जो खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी सम्वत 2070–73 से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत जबाब व जांच रिपोर्ट में बताया है कि विवादित भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 2318, 2350, 2324 थे जिसका सह खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवार कर लिया उसी प्रकार मौके पर काबिज है व प्रार्थी व अप्रार्थी 2, 3 के हिस्से में खसरा नम्बर 2318/1, 2324/2, 2350/1 की भूमि आयी है जो मेघा हाईवें के पास स्थित है। गत खसरा नम्बर 1655/1 जिसके नवीन खसरा नम्बर 2349 जरिये नामान्तकरण संख्या 4070 के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी में दर्ज हो रखा है परन्तु नवीन जमाबन्दी सेग्रीकेशन के तहत रिकार्ड तैयार करते समय खसरा नम्बर 2349 को तत्कालिन खातेदार आसाराम के नाम वापस दर्ज कर दिया जो गलत हुआ है खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि का आशाराम पुत्र नानूराम के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2349 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि पूर्व रिकार्ड के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर नक्शा ट्रेस में राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहरीर जारी हो।

24/01/23

(शिवराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)